7

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः396 / xxvii(7) / 2008
देहरादूनःदिनांकः17 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग के कम में लागू मंहगाई भत्ते की दरे राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित दर पर उपलब्ध कराया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिये जाने विषयक राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों के कम में निर्गत शासनादेश संख्या395 / xxvii(7) / 2008दिनांकः17अक्टूबर / 2008 द्वारा अनुमन्य किये गये वेतनमानों पर निम्नानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराया जायः–

मंहगाई भत्ते की दरें लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य कुल मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
1–1–2006से	मंहगाई भत्ता देय नहीं है
1–7–2006 से	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
1–1–2007से	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
1–7–2007 से	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
1–1–2008 से	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
1–7–2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

2– उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में शासनादेश संख्या सख्याः 29 / xxvii(7) / 2006 दिनांक 26 अप्रैल,2006 द्वारा दिनांक 1–1–2006 से शासनादेश संख्या 29(1) / xxvii(7) / 2006 दिनांक 29 सितम्बर 2006, द्वारा दिनांक 1–7–2006से शासनादेश संख्या 29 / xxvii(7) / 2007 दिनांक 24 अप्रैल 2007 द्वारा 1–1–2007 से एवं शासनादेश संख्या 279 / xxvii (7) मं0 भ0 / 2007 दिनांक 1अक्टूबर 2007 द्वारा दिनांक 1–7–2007 से, शासनादेश संख्या 18 / xxvii(7)मं0भ0 / 2008 दिनांक 21 मार्च 2008 द्वारा दिनांक 1–1–2008 से स्वीकृत किये गये मंहगाई भत्ते का समायोजन करने के उपरान्त किया जाएगा ।

3– दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन का स्तर तथा अनुमन्य ग्रेड–वेतन को जोड़कर

जो धनराशि होगी उसे ही मूल वेतन माना जायेगा । इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

4–मंहगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत की स्वतन्त्र अनुमन्यता है, इसे मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा ।

5–मंहगाई भत्ते के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे अगले रूपये में मान लिया जाय।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या:396(1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।